



सं.- एफ.टीयू/रजि./जी-एडमिन/05/2015 (वॉ.-V)

दिनांक : 8 सितंबर, 2020

### अधिसूचना

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि पीएच.डी. पाठ्यक्रम में नामांकन के समय सभी विभाग "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री हेतु न्यूनतम मानक का अनुपालन) विनियम, 2016 का अनुपालन करें" जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी हुआ है तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग – III अनुभाग, वर्ष 2016

सभी अकादमिक विभागों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित पर गंभीरता से ध्यान दें :

उपर्युक्त अधिनियम के बिन्दु 2.1 तथा 3.2 'एम.फिल./ पीएच.डी. पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु पात्रता मानक' जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 'एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/ दिव्यांग छात्रों के नामांकन में निर्धारित 55 फीसदी अंक में 5 फीसदी की छूट दी जाए अथवा यदि ग्रेड हो तो उसमें समतुल्य छूट दी जाए और उसे 50 फीसदी अंक पर नामांकन लिया जाए तथा उक्त संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय का अनुपालन किया जाए।'

इसे माननीय कुलपति, त्रिविवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. के. बी. जमातिया)

कुलसचिव (प्र.)

प्रति :

1. विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, त्रिविवि
2. प्रो. चिन्मय राय, ओबीसी हेतु संपर्क अधिकारी, त्रिविवि
3. सभी अकादमिक विभागों के अध्यक्ष/ प्रभारी, त्रिविवि को इस अनुरोध के साथ कि वे इसका प्रसार संकाय सदस्यों के मध्य करें.....।
4. श्री सुमन दास, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, त्रिविवि कृपया इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. माननीय कुलपति के निजी सचिव, त्रिविवि

अनुवाद सहायक

23/9/2020

मुनीन्द्र मिश्र

Muneendra Mishra

सहायक निदेशक (राजभाषा)

Assistant Director (O.L.)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

Tripura University.